उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या–297/XXVII(9)/2011/स्टाम्प–61/2009
देहरादूनः दिनांक 31 मई, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या–2 वर्श 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना सं0–276/XXVII(9)/2010/स्टाम्प–61/2008 दि0 06.04.2010 का अधिक्रमण करके, इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से अनुसूची 1बी के अनुच्छेद 23 खण्ड (क) के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

स्पश्टीकरण :– यह अधिसूचना उपर्युक्त अधिनियम सं0– 2 सन् 1899 की अनुसूची 1ख के अनुच्छेद 5 (करार या करार का ज्ञापन), अनुच्छेद, 18 (विक्रय का प्रमाण–पत्र), अनुच्छेद 31 (सम्पत्ति का विनमय), अनुच्छेद 32 (अतिरिक्त प्रभार), अनुच्छेद 33 (दान), अनुच्छेद 35 (लीज), अनुच्छेद 40(बन्धक पत्र), अनुच्छेद 54(बन्धक की गई सम्पत्ति का प्रतिहस्तान्तरण) तथा अनुच्छेद 63(लीज का अन्तरण) की लिखत के संबंध में भी प्रभावी होगी।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव ।

पत्रांक : 297/xxvii(9)/स्टाम्प–61/2009 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. उप–निदेशक, लिथो प्रेस, रूड़की को हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इस गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध करा दें।।
6. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रभारी एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
8. गार्ड फाईल

आज्ञा से

(राधा रतूड़ी)
सचिव ।